अनुदान संख्या 90 – इस्पात मंत्राालय
GRANT No. 90–MINISTRY OF STEEL

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	84,50,00			
			320,52,00	307,96,01	–12,55,99
पूरक	Supplementary	236,02,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				7,66,33
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	45,00,00			
			98,63,00	97,62,00	–1,01,00
पूरक	Supplementary	53,63,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	7461.00			
पू.	S.	23602.00	30236.67	29768.76	–467.91
पु.	R.	–826.33			

(I) "लोहा तथा इस्पात उद्योग – विनिर्माण – हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को अनुदान" के अंतर्गत मार्च, 2007 में पूरक अनुदान प्राप्त करके 16579.00 लाख रु. की निधियां उपलब्ध कराई गई थीं, तथापि, जो आयकर प्राधिकरण द्वारा आयकर की पहले सूचित की गई मांग की अपेक्षा कम मांग किए

(I) Under "Iron and Steel Industries - Manufacture – Grants to Hindustan Steelworks Construction Ltd." - funds of Rs.16579.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant in March, 2007 which, however, remained unutilised to the extent of Rs.176.29 lakhs - due

जाने के कारण 176.29 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं ।

to less demand for Income Tax raised by the Income Tax Authority than communicated earlier.

(II) ''लौह एवं इस्पात उद्योग - विनिर्माण'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under "Iron and Steel Industries - Manufactures" - savings also occurred under the following heads:-

(का) ''स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम लागू करने के लिए बैंकों से लिए गए कर्जों पर ब्याज की अदायगी के लिए हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंसट्रक्शन लिमिटेड को आर्थिक सहायता'' -1310.36 लाख रु. की बचत (5919.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम कर्जों पर बैंकों द्वारा प्रभारित किए जाने वाले ब्याज की दर कम होने की वजह से ब्याज सहायता पर कम व्यय होने और साथ ही प्रस्तावित कर्ज न लिए जाने के कारण हुई ।

(A) "Subsidy to Hindustan Steelworks Construction Limited for payment of Interest on loans raised from banks for implementation of Voluntary Retirement Scheme" - saving of Rs.1310.36 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5919.00 lakhs) was due to less expenditure on account of interest subsidy owing to lower interest rates charged by the banks on the Voluntary Retirement Scheme loans and also on account of non raising of proposed loans.

(खा) ''स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम लागू करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों से लिए गए कर्जों पर ब्याज की अदायगी के लिए मेकन लिमिटेड को आर्थिक सहायता'' -213.87 लाख रु. की बचत (603.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई ।

(B) "Subsidy to MECON Limited for payment of Interest on loans raised from Commercial Banks for implementation of Voluntary Retirement Scheme (VRS)" - saving of Rs.213.87 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.603.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (494.54 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि ''लौह एवं इस्पात उद्योग - विनिर्माण - भारत सरकार द्वारा दी गई गारंटी पर गारंटी शुल्क हटाए जाने के लिए मेकन लिमिटेड को आर्थिक सहायता'' के अंतर्गत मार्च,2007 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय493.54 लाख रु. था ।

2. The above savings were partly (Rs.494.54 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in March, 2007 under – "Iron and Steel Industries – Manufacture – Subsidy to MECON Limited for waiver of guarantee fee on the guarantee given by Government of India". Actual excess, however, was Rs.493.54 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में,100.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष '6852'' - ''लौह एवं इस्पात उद्योगों के लिए कर्ज'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और अंतत: इसे अभ्यर्पित कर दिया गया ।

3. In the capital section of the grant, provision of Rs.100.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "6852" - "Loans for Iron and Steel Industries" and was eventually surrendered.